उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

यूपीएसआईडीसी कॉम्पलेक्स
A-1/4ए लखनपुर
कानपुर – 208024
दूरभाष : 0512- 582851-53
फैक्स : 0512-2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
CIN-U26961SGC002834

संदर्भ संख्या /सीडा/एटीपी/का0आ0 दिनांक

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न 36वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में, प्राधिकरण में उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति–2017 में परिभाषित मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु वांछित बडे क्षेत्रफल के भूखण्डों के त्वरित सृजन के उद्देश्य से संचालक मण्डल द्वारा निम्नवत अनुमोदन प्रदान किये गये है :–

1. प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु बड़े क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्डों के प्रथम आवंटन पूर्व सृजित किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में प्राधिकरण के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन, 2004 के प्रस्तर 3.3.2 में समाचार पत्रों में सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा को 30 दिन को 15 दिन किया गया।

2. औद्योगिक विकास नीति–2017 में परिभाषित मेगा, मेगा प्लस तथा सुपर मेगा श्रेणी में भूखण्ड के आवंटन हेतु औद्योगिक भूखण्डों के सृजन हेतु क्षेत्र के तलपट मानचित्र में दर्शाए गये आवंटन योग्य अनावंटित भूखण्डों तथा उनके निकटवर्ती अन्य उपयोगो की भूमि को संविलियत करने हेतु प्राधिकरण के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के अध्याय–3 में निर्धारित योजना मानको के अनुरूप परिवर्तित कर तलपट मानचित्र में संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों के अनुमोदन का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस शर्त पर प्रदान किया गया कि इस तरह के समस्त प्रकरणों को अनुमोदनोपरान्त संचालक मण्डल के सम्मुख आगामी बोर्ड बैठक में संज्ञानित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में तलपट मानचित्र के संशोधन प्रस्ताव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त प्राधिकरण के योजना बनाने एवं अंतिमीकरण विनियमन, 2004 के प्रस्तर 3.3.2 के प्रावधानों के अनुसार जनापत्ति प्राप्त कर उनका निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा।

3. यूपीसीडा के वर्तमान आवंटियों को यदि इकाई के विस्तार हेतु भूखण्डों के संविलियन की प्रक्रिया के सरलीकरण के उददेश्य से प्राधिकरण के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के प्रस्तर 3.3.7 बी (vi) में इंगित 5000 वर्गमीटर अथवा अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस शर्त पर अधिकृत किया गया कि इस तरह के समस्त प्रकरणों को अनुमोदनोपरान्त संचालक मण्डल के सम्मुख आगामी बोर्ड बैठक में संज्ञानित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

उक्त प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार यूपीसीडा के योजना तैयार करने एवं अन्तिमीकरण विनियमन–2004 के प्रस्तर 3.3.2 में संशोधन को उ0प्र0शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

संलग्नक: यथोक्त।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ संख्या 651-658 **/यथोक्त।** **दिनांक** 08-10-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
3. उप महाप्रबन्धक(वा0/नि0)/प्रभारी–एटीपी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0.....।
5. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0.....।
6. प्रभारी (कम्प्यूटर), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचनायें वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. श्री अनुराग अवस्थी, सलाहकार, ई0 एण्ड वाई0 को इस आशय से प्रेषित कि संविलियन सम्बन्धी साफ्टवेयर में उपरोक्तानुसार प्रावधान समाहित करने हेतु।
8. सहायक प्रबन्धक(वा0/नि0)/समस्त मानचित्रक, एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ms Ankita
8/10